फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

धनको वगै0 बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0–14/2026

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2026	पत्रावली को प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की, बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 143, 125, 130, 131, 136, 137, 183, 132, 133, 138 वाके ग्राम रायपुरा ब्राहम्णान तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया संख्या 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में श्रीया दर्ज है जबकि प्रार्थीया संख्या 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के पिता का सही नाम दस्तावेजों में नारायण है जो कि सही है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर किया गया एवं प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थीया के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा पेश दस्तावेजात यथा आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम नारायण दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में श्रीया दर्ज है इसलिए दस्तावेजात में दर्ज नाम अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि में प्रार्थीया संख्या 1 के पति तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 के पिता का नाम श्रीया के स्थान पर नारायण दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	